Website : www.prsuprayagraj.in E-mail ID- coeasua@gmail.com

प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज,उ0प्र0

(पूर्ववर्ती: इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय)

Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, U.P.

(Formerly: Allahabad State University)

पत्रांकः प्रो0रा0सि0वि0वि0 / प0नि0का0 / 40 / 2021 दिनांक 04 फरवरी, 2021

कार्यालय–ज्ञाप

दिनांक 12.01.2021 को परीक्षा समिति की आहूत बैठक के बिन्दु 14 के परिपेक्ष्य मे लिये गये निर्णय के क्रम में परीक्षा समिति ने निम्न प्रकार से निर्णय लिया।

बिन्दु संख्या :–14– प्रायोगिकी परीक्षा हेतु निति का निर्धारण।

निर्णय :– ''समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि महाविद्यालय में नियुक्त अनुमोदित कार्यरत शिक्षक आन्तिरिक परीक्षक के रूप में प्रायोगिक / मौखिक परीक्षा हेतु नियुक्त किये जायेंगे। यदि किन्हीं कारणों से किसी महाविद्यालय में आन्तिरिक परीक्षक के रूप में कोई शिक्षक उपलब्ध नहीं है, तो उस दशा में उस महाविद्यालय का प्राचार्य / प्राचार्या आन्तिरिक परीक्षक के रूप में उस प्रायोगिक / मौखिक परीक्षा को सम्पन्न करायेंगे। क्योंकि महाविद्यालय प्राचार्य से यह अपेक्षित है कि वह अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। ज्ञातव्य है कि इस प्रकार सम्पन्न कराई गई परीक्षा हेतु प्राचार्य / प्राचार्या को विश्वविद्यालय द्वारा उक्त कार्य हेतु कोई भुगतान नही किया जायेगा। जिसे मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा स्पष्ट करते हुए कहा गया कि आन्तिरिक परीक्षक का कार्य परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाओं को देखना एवं शैक्षिक / प्रायोगिक अवस्थपना सुविधाओं को उपलब्ध कराना है। जिससे प्रायोगिक / मौखिक परीक्षा सम्पन्न की जा सके। इसके साथ ही समिति ने निर्णय लिया कि प्राचार्य एवं प्राचार्या अपने परीक्षा केन्द्र पर सम्पन्न होने वाली प्रायोगिक / मौखिक परीक्षा की तिथि की सूचना परीक्षा सम्पन्न होने से पूर्व विश्वविद्यालय को सूचित करेंगे। जिससे विश्वविद्यालय आकस्मिक रूप से Observor भेजकर प्रायोगिक / मौखिक परीक्षा की जांच करवा सके। इसके अतिरिक्ति यदि आन्तिरिक परीक्षक एवं प्राचार्य / प्राचार्या मे से कोई भी एक उपलब्ध नही होता अथवा दोनो उपलब्ध नही होते तो ऐसी स्थिति में आन्तिरिक परीक्षक के रूप में अन्य महाविद्यालय से परीक्षक को आन्तिरिक परीक्षक के रूप में योजित किये जाने का विशेषाधिकार विश्वविद्यालय में पूर्व की भांति निहित रहेगा। इस सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति स्वीकार नही होगी।''

समस्त सम्बन्धित महाविद्यालयों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त से संसुचित होने का कष्ट करें।

डॉ0 (कुलदीप सिंह)
परीक्षा नियंत्रक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्राचार्य / प्राचार्या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय।
2. सहायक कुलसचिव (परीक्षा) को सूचनार्थ।
3. वैय0 सहायक कुलपति को, मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
4. वैय0 सहायक कुलसचिव / वित्त अधिकारी।
5. प्रभारी एजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय–ज्ञाप को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

04/02/2021

डॉ0 (कुलदीप सिंह)
परीक्षा नियंत्रक